कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

उत्तराखण्ड

विवरणिका

(Information Brochure)

बी0 एड0 सत्र 2021–23

प्रवेश परीक्षा – 2021

बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा 2021 सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

शुल्क विवरण -		
क्रमांक	**विवरण**	**धनराशि**
1.	प्रवेश परीक्षा शुल्क	₹ 1,200.00
2.	ऑनलाईन पोर्टल शुल्क	₹ 50.00
3.	कुल धनराशि (₹ एक हजार दो सौ पचास मात्र)	₹ 1,250.00

महत्वपूर्ण तिथियाँ -			
क्र0सं0	**विवरण**	**प्रारम्भ तिथि**	**अंतिम तिथि**
1.	ऑनलाईन आवेदन पत्र/परीक्षा शुल्क जमा करना	**22.09.2021**	**16.10.2021**
2.	प्रवेश परीक्षा की तिथि	**31 अक्टूबर, 2021 (रविवार)**	

1. प्रवेश प्रक्रिया -

1.1 कुमाऊँ विश्वविद्यालय के तहत संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश-परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्राप्त अंकों तथा अधिमान अंकों के योग के आधार पर वरीयता क्रमानुसार, तत्समय लागू आरक्षण नियमों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में प्रवेश दिए जाएंगे।

1.2 बी0 एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2021-23 की अवधि 02 वर्ष होगी।

2. प्रवेश परीक्षा हेतु अर्हता तथा पात्रता -

2.1 परीक्षार्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि एन0 सी0 टी0 ई0 के प्रवेश नियम 3.2 को पूर्ण करता है इसके अन्तर्गत -
सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थी को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ तक कि 49.99 प्रतिशत भी मान्य नहीं होगा।

2.2 **आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी) के प्रवेशार्थी को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा**

उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ तक कि 44.99 भी मान्य नहीं होगा। उक्त अर्हता पूर्ण न किये जाने पर ऑन लाईन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

2.3 **इंजीनियरी, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, में 55 प्रतिशत अंक (54.99 अंक भी मान्य नहीं होगें) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।**

नोट - क) आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी) के अभ्यर्थियों को इंजीनियरी, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, में 50 (49.99 अंक भी मान्य नहीं होगें) प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

ख) अभियान्त्रिकी एवं तकनीकी विद्याशाखा के अभ्यर्थी ध्यान दें कि एन0 सी0 टी0 ई0 की गाईडलाईन के अनुसार बी0 एड0 पाठ्यक्रम हेतु उनकी अर्हता सिर्फ उनकी विज्ञान एवं गणित विषयों में विशेषज्ञता सहित स्नातक उपाधि के आधार पर निर्धारित की जाती है न कि उनकी अभियान्त्रिकी एवं तकनीकी के परास्नातक उपाधि के आधार पर।

2.4 कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अन्तिम वर्ष/अन्तिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले (Appearing) परीक्षार्थी हैं (जिनका परीक्षाफल प्रतिक्षित है) बी0एड0 में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् अभ्यर्थियों को उपरोक्त सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के ऐसे अभ्यर्थी यदि बी0 एड0 पाठ्यक्रम हेतु उक्त पैरा 2.1, 2.2 एवं 2.3 में उल्लिखित न्यूनतम अर्हता को पूर्ण न कर सके तो उनका प्रवेश उक्त परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। बी0 एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि तक यदि ऐसे अभ्यर्थियों का Appearing परीक्षा का परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ हो तो उन्हें बी0 एड0 पाठ्यक्रम में अनन्तिम प्रवेश (Provisional Admission) दिया जायेगा, तथा अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क तब ही जमा किया जायेगा जब ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा बी0 एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता पूर्ण कर ली हो। लेकिन बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण होने की अंकतालिका प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2.5 यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी सम्बन्धित परीक्षा के लिये अर्ह नहीं है अथवा उसके परीक्षा आवेदन पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है तो विश्वविद्यालय को बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षार्थी का अभ्यर्थन तथा परीक्षाफल निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

2.6 बी0एड0 पाठ्यक्रम पूर्णरूप से नियमित पाठ्यक्रम (Regular Course) है। अतः उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले समस्त अभ्यर्थी एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु अर्ह होगा। यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी के एक सत्र में दो पाठ्यक्रमों (क्रमशः- परम्परागत अथवा व्यावसायिक) (Traditional & Professional Course) में प्रवेश एवं अध्ययन की सूचना प्राप्त

होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

2.7 बी0 एड0 पाठ्यक्रम पूर्णरूप से नियमित पाठ्यक्रम (Regular Course) है। यदि कोई सेवारत अभ्यर्थी उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का इच्छुक हो तो उसे काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate) प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किया जायेगा।

2.8 यदि किसी प्रवेशार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा वह दण्डित किया गया हो तो वह प्रवेश का पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में इस बारे में सूचित करें। यदि इस सूचना को जानबूझ कर छिपाया जाता है तो भविष्य में जानकारी होने पर प्रदत्त प्रवेश किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

2.9 कोई भी प्रवेशार्थी 2019 की परीक्षा में दो वर्ष के लिए अथवा 2020 की परीक्षा में अनुचित साधन के कारण विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किए गए हैं, तो ऐसे प्रवेशार्थियों का प्रवेश प्रतिबन्धित है।

3. प्रवेश-परीक्षा का स्वरूप एवं प्रश्न-पत्र -

3.1 परीक्षा का समय 03 घण्टा होगा।

3.2 बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा का स्वरूप विगत वर्षों की भाँति निम्नानुसार होगा -

	प्रश्न पत्र का नाम	अवधि	अधिकतम अंक	अनिवार्यता
B-1	A - Language Test (* Hindi or English)	02 घन्टे	50 अंक (50 प्रश्न)	अनिवार्य
	B- General Knowledge & Reasoning		50 अंक (50 प्रश्न)	अनिवार्य
	C- Teaching Aptitude		50 अंक (50 प्रश्न)	अनिवार्य
B-2	D- Optional Paper	01 घन्टा	50 अंक (50 प्रश्न)	वैकल्पिक **

* विद्यार्थी को हिन्दी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में से किसी एक को चुनना होगा।

** प्रत्येक परीक्षार्थी निम्नांकित में से किसी एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र में सम्मिलित होगा -

1. कला वर्ग (Arts Group)
2. वाणिज्य वर्ग (Commerce Group)
3. विज्ञान वर्ग (Science Group)

3.3 **परीक्षा में सफल होने के लिये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को** परीक्षा में दोनों प्रश्न-पत्रों में मिलाकर 40 प्रतिशत अर्थात कुल 80 अंक लाना अनिवार्य होगा **तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को** परीक्षा में दोनों प्रश्न-पत्रों में मिलाकर 27 प्रतिशत अर्थात कुल 54 अंक लाना अनिवार्य होगा।

नोट - विद्यार्थी को दोनों प्रश्न-पत्रों (B1 & B2) में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। किसी एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित न होने की दशा में उसका परीक्षाफल घोषित नहीं किया जायेगा।

4. प्रवेश में आरक्षण -

वर्तमान में लागू विभिन्न शासनादेशों के तहत बी0 एड0 पाठ्क्रम में आरक्षण के नियम निम्नानुसार है -

4.1 आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है -

उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) –

1. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	14 प्रतिशत
2. अनुसूचित जाति (SC)	19 प्रतिशत
3. अनुसूचित जनजाति (ST)	04 प्रतिशत
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	10 प्रतिशत (स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त)

नोट – केवल उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु इस श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को अद्यतन अवधि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्रमाणपत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) -

1. दिव्यांग (Handicapped- PH)	05 प्रतिशत
2. महिलायें (Women)	30 प्रतिशत
3. भूतपूर्व सैनिक (Ex-Serviceman)	05 प्रतिशत
4.स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (Dependents of Freedom Fighter)	02 प्रतिशत

4.2 अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आरक्षण श्रेणी हेतु आवेदन पत्र में उस श्रेणी को भरें जिस श्रेणी के लिए दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाणपत्र व आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करेगे। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण श्रेणी का दावा मान्य नहीं होगा।

4.3 आरक्षण श्रेणी का लाभ केवल संलग्न/आधिकारिक प्रारूपों पर प्राप्त प्रमाण पत्रों पर ही दिया जाएगा। पृथक से भाषाबद्ध प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में उल्लिखित आरक्षण की श्रेणी का प्रमाणपत्रों की जांच के समय संज्ञान लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं होगा। **सम्बन्धित प्रारूप इस विवरणिका के अन्त में दिए गए हैं।**

4.4 अनधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होंगे जो कि नियमों एवं मानकों के अनुसार नहीं हैं।

4.5 दिव्यांग प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। **चर्मरोग से ग्रसित, हकलाने वाले, मूक-बधिर अभ्यर्थी इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन न करें। इनके प्रवेश पर कोई विचार सम्भव**

नहीं होगा।

4.6 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से सम्बन्धित प्रवेशार्थी जिला शिक्षा अधिकारी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र जाँच तथा प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे।

4.7 भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) प्रवेशार्थी संबंधित कमाडिंग ऑफीसर/सचिव सैनिक कल्याण बोर्ड तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जाँच के समय प्रस्तुत करने पर ही वांछित ''भूतपूर्व सैनिक'' श्रेणी के अन्तर्गत वांछित आरक्षण लाभ के पात्र होंगे। ** उत्तराखण्ड शासन द्वारा तथा एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों को लागू किया जायेगा।

5. कुमाऊँ विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 में बी0 एड0 कक्षाओं का संचालन एवं सीटों की संख्या -

5.1 वर्तमान में कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों/ स्ववित्तपोषित/निजी स्वत्तिपोषित संस्थानों में बी0 एड0 कक्षायें संचालित की जा रही है। सीटों का विवरण प्रवेश काउन्सिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में उपलब्ध कराया जायेगा। प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया जाता है।

6. अधिमान अंक -

6.1 निम्नांकित अधिमान केवल बी0 एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमन्य हैं। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अधिमान अंकों के लिये अपने मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों/स्थान में करवाया जाना अनिवार्य होगा। इसी आधार पर अधिमान अंक देय होंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो अधिमान अंक देय नहीं होंगे, इसके फलस्वरूप उसके आवेदन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा/होगी।

6.2 अधिमान अंकों तथा मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु तिथि एवं स्थान की घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से की जायेगी।

(क) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को - अधिमान केवल एक प्रतियोगिता का देय होगा -

1. इन्डीविजुवल आईटम में

- प्रथम स्थान प्राप्त करने पर — 15 अंक
- द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर — 10 अंक
- तृतीय स्थान प्राप्त करने पर — 05 अंक

2. टीम आईटम में

- सर्वविजेता चैम्पियन टीम का सदस्य होने पर — 15 अंक

- सर्व उपविजेता (रनर्स टीम) का सदस्य होने पर — 10 अंक
- प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर — 05 अंक

3. **किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेन्ट या खेलकूद प्रतियोगिता में –**

- सर्व विजेता/चैम्पियन टीम का सदस्य होने पर — 10 अंक
- इण्डिविजुवल आईटम में प्रथम स्थान पाने पर — 10 अंक

नोट– I- उपर्युक्त मद संख्या 1., 2. एवं 3. के अन्तर्गत आईटम्स में से केवल एक ही आईटम का लाभ देय होगा अर्थात यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा आईटम में भाग किया है तो उसे एक ही टीम/आईटम का लाभ देय होगा।

II- राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ख) नेशनल कैडेट कोर या राष्ट्रीय सेवा योजना अथवा स्काउट एवं गाईड

1. नेशनल कैडेट कोर में ''सी'' प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को — 15 अंक
2. नेशनल कैडेट कोर में ''बी'' प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को — 10 अंक

अथवा

1. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं दो या अधिक विशेष शिविर में भाग लेने वाले वाले अभ्यर्थियों का — 15 अंक
2. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं एक विशेष शिविर में भाग लेने वाले वाले अभ्यर्थियों को — 10 अंक
3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थियों को — 05 अंक

नोट– I- एन0 एस0 एस0 में भारत सरकार द्वारा संचालित शिविर–प्रमाण पत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय के एन0 एस0 एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत तथा 240 घण्टे के कार्य का प्रमाण पत्र समन्वयक/प्राचार्य/परिसर समन्वयक (निदेशक) के द्वारा निर्गत मान्य होंगे।

II- विशेष शिविर कम से कम 7 से 10 दिनों का होना चाहिए। दस दिवसीय शिविर में तिथि अंकित न होने पर वांछित लाभ देय नहीं होगा।

III- एन0 एस0 एस0 'बी' तथा 'सी' प्रमाण पत्रों पर कोई अधिमान देय नहीं होगा।

अथवा

1. स्काउट एवं गाइड का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रवेशार्थी को — 15 अंक

2. स्काउट एवं गाइड का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त प्रवेशार्थी को — 10 अंक

3. स्काउट एवं गाइड्स में गुरुपद व ध्रुवपद प्राप्त प्रवेशार्थी को — 05 अंक

नोट- उपर्युक्त वर्णित मद (ख) में से केवल एक का लाभ प्रवेशार्थी को देय होगा ।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हो या ऐसे कर्मचारी का सम्बन्धी हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो। — 15 अंक

(घ) ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पी0 एस0 सी0 या बी0 एस0 एफ0 या एस0 एस0 बी0 या आई0 टी0 बी0 या सी0 आर0 पी0 या होमगार्ड (होमगार्ड का प्रमाण पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए प्रमाण पत्र में सेवारत हो) या ऐसे कर्मचारी का पुत्र या पुत्री के रूप में सम्बन्धित हो कार्यरत या सेवानिवृत्त अपंग या मृत हो — 15 अंक

नोट- (ग) के पात्र प्रवेशार्थी सम्बन्धित कमाडिंग आफीसर/सचिव जिला सैनिक बोर्ड तथा (घ) के पात्र प्रवेशार्थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हस्ताक्षरित/प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वांछित लाभ के पात्र होंगे। यदि किसी प्रवेशार्थी के माता/पिता दानों ही इस श्रेणी में आते हैं तो उन्हें केवल 15 अंकों का अधिमान देय होगा। उक्त के मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

(ङ) ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता हो — 15 अंक

नोट - विधवा प्रवेशार्थी को पब्लिक नोटरी द्वारा निर्गत शपथपत्र तथा तलाक एवं परित्यक्ता महिला को सम्बन्धित कोर्ट का मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6.3 अधिमान प्राप्तांकों हेतु केवल संलग्न प्रारूप पर प्राप्त प्रमाणपत्रों को माना जायेगा। पृथक से भाषावद्ध प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में उल्लिखित आरक्षण की श्रेणी एवं अधिमान हेतु देय अंकों का संज्ञान लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं होगा।

अन्य किसी रूप का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही देंगे। अनाधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। प्रमाण पत्र जो नियमों एवं मानकों के अनुसार नहीं होंगे उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।

6.4 **बी0 एड0 हेतु अधिकतम अधिभार अंक 25 देय हैं।**

7. प्रवेश परीक्षा शुल्क -

7.1 ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु शुल्क ₹ 1250.00 { बैंक शुल्क ₹ 1200.00 + ₹ 50.00 पोर्टल शुल्क)} है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत शुल्क का भुगतान किया जाना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये लिंक में जाकर रजिस्ट्रेशन के पश्चात् करना होगा।

आवेदन शुल्क डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नैट बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है। आवेदन-शुल्क किसी भी दशा में वापस किया जाना सम्भव नहीं होगा।

8. प्रवेश-परीक्षा हेतु आवेदन -

8.1 सत्र 2021-22 की प्रवेश-परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर प्रिंटआउट (Printout) को अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखेंगे। **व्यक्तिगत एवं डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

9. प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र भरना -

9.1 प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र भरने हेतु अभ्यर्थी को कुमाऊँ विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा।

9.2 अभ्यर्थी को वैबसाईट पर दिये गये निर्देशों का भँली-भाँति अध्ययन करना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह बी0 एड0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अर्हता को पूर्ण करता है।

9.3 निर्देशों के अध्ययन के पश्चात् अभ्यर्थी को APPLY ONLINE बटन पर क्लिक करना होगा।

9.4 अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गयी सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करना होगा तथा वांछित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। केवल .jpg एक्स्टेंशन वाले दस्तावेज जिनका आकार 200 KB से कम 2 MB तथा से अधिक नहीं होना चाहिए मान्य होंगे।

9.5 अभ्यर्थी को अपने स्कैन किया हुआ पासपोर्ट आकार का जोकि केवल .jpg एक्स्टेंशन का फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। फाईल का आकार 200 KB से कम नहीं होना चाहिए मान्य होंगे।

9.6 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरान्त SUBMIT बटन पर क्लिक करना होगा। उक्त बटन पर क्लिक करने पर अभ्यर्थी के द्वारा दी गयी प्रविष्टियाँ दिखायी देंगी। अभ्यर्थी को इन प्रविष्टियों तथा उसके द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों की जाँच करनी होगी। यदि कोई प्रविष्टि गलत है तो EDIT बटन पर क्लिक कर प्रविष्टि को स्वयं सही किया जा सकता है। जाँचोंपरान्त समस्त प्रविष्टियों सही होने की दशा में अभ्यर्थी को CONFIRM बटन पर क्लिक करना होगा। उक्त बटन पर क्लिक करने के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा। प्रविष्टि गलत होने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

9.7 आवेदन पत्र भरने के उपरान्त अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा आवेदन शुल्क जमा करना होगा तभी आवेदन पत्र पूर्ण माना जायेगा। शुल्क जमा न किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

10. प्रवेश-परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र प्राप्त करना -

10.1 निर्धारित केन्द्रों में आयोजित होने वाली प्रवेश-परीक्षा में अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास आधिकारिक प्रवेश-पत्र नहीं होंगे वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। प्रवेश परीक्षा की तिथि को प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

11. प्रवेश परीक्षा हेतु मुख्य स्थल -

बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा *2020* के लिए कुमाऊँ विश्वविद्यालय के द्वारा निम्नलिखित ***07 परीक्षा स्थल निर्धारित किये गये*** हैं। कोविड - 19 को ध्यान में रखते हुए मुख्य स्थलों के 01 से अधिक परीक्षा केन्द्र परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाये जा सकते हैं (परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश पत्र में अंकित की जायेगी) -

क्र0	**मुख्य स्थल**	**क्र0**	**मुख्य स्थल**	**क्र0**	**मुख्य स्थल**
1.	हल्द्वानी	2.	काशीपुर	3.	खटीमा
4.	किच्छा	5.	नैनीताल	6.	रामनगर
7.	रूद्रपुर				

नोट - यदि उपरोक्त परीक्षा स्थलों के किसी 01 परीक्षा केन्द्र में प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम या ज्यादा होगी तो उस परीक्षा केन्द्र को आवश्यतानुसार निकटस्थ परीक्षा केन्द्र में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

12. परीक्षा परिणाम की घोषणा -

12.1 प्रवेश-परीक्षा में प्राप्तांकों एवं देय अधिमान तथा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों की प्रारम्भिक जाँच होने के पश्चात प्रवेश-परीक्षा का परिणाम व वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in के माध्यम से घोषित किए जाएंगे तथा सम्बन्धित सूचना को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित किया जाएगा।

13. कक्षाओं में प्रवेश/काउन्सिलिंग -

13.1 विश्वविद्यालय परिसर में संचालित बी0 एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों व आरक्षण के आधार पर वरीयता सूची निर्मित की जाएगी तथा इस आधार पर ऑनलाइन काउन्सिलिंग के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा परिणाम को विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in पर देखा जा सकता है। आवश्यक होने पर परीक्षा-परिणाम घोषित होने की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित की जा सकती है।

13.2 प्रवेश हेतु चयनित प्रवेशार्थियों को निर्धारित अवधि के अन्दर परिसर में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर प्रवेश न लेने वाले प्रवेशार्थी का दावा स्वतः समाप्त समझा जाएगा तथा उसके/उनके बाद के अभ्यर्थी को (प्रतीक्षा सूची से) प्रवेश दे दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश की सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in पर दी जाएगी। विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रवेशार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

13.3 प्रमाण पत्रों की जाँच/प्रवेश के समय निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है

अ - हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र

ब - इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र

स - स्नातक/स्नातकोत्तर अथवा अन्य अर्हता परीक्षा की अंक तालिका

द - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा)

य - क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

र -प्रिंट-आउट (Printout) किया गया आवेदन पत्र समस्त प्रमाणपत्रों/अधिभार अंक प्रमाण पत्रों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति।

14. अन्य निर्देश -

14.1 आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। व्यक्तिगत एवं डाक द्वारा भेजे गये आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

14.2 ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्य पात्रता के आधार पर स्वयं का आंकलन कर सही/सत्य एवं स्पष्ट रूप से भरें। प्रमाण पत्रों की जाँच के समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी भी सूचना के अपूर्ण/असत्य पाये जाने पर प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया जायेगा। **आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं को ही अन्तिम माना जायेगा।**

14.3 प्रवेशार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुरूप कोई साक्ष्य/प्रमाण न दिये जाने की स्थिति में यदि उसके प्रवेश का दावा नहीं बनता है तो प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित नियमों के विपरीत यदि कोई प्रवेशार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे परीक्षा शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और न उक्त शुल्क वापस किया जायेगा। केवल पात्र प्रवेशार्थी ही आवेदन करें। अपात्र प्रवेशार्थी का प्रवेश/आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

14.4 **किसी भी वाद की स्थिति में वाद का परिक्षेत्र मुख्यालय, नैनीताल होगा।**

15. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची तथा सीटों की संख्या -

SL	**NAME OF THE COLLEGE/INSTITUTE**
1.	M. B. GOVERNMENT. P. G. COLLEGE, HALDWANI
2.	LAL BAHADUR SHASTRI DEGREE COLLEGE, HALDUCHAUR
3.	M. B. GOVERNMENT. P. G. COLLEGE, HALDWANI (Self Finance)
4.	P. N. G. GOVERNMENT P. G. COLLEGE, RAMNAGAR
5.	H. N. B. GOVERNMENT P. G. COLLEGE, KHATIMA
6.	RADHEY HARI GOVERNMENT P. G. COLLEGE, KASHIPUR
7.	SARDAR BHAGAT SINGH GOVERNMENT P. G. COLLEGE, RUDRAPUR
8.	AMRAPALI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER APPLICATIONS, SHIKSHA NAGAR LAMACHAUR, HALDWANI (NAINITAL)
9.	INSPIRATION COLLEGE OF TEACHERS EDUCATION, POLYSHEET, KATHGODAM (NAINITAL)
10.	JAI ARIHANT ACADEMIC INSTITUTE, ARIHANT EDUCATIONAL PARK, HALDUCHAUR, HALDWANI (Minority Inst.)
11.	JAI ARIHANT COLLEGE OF TEACHER'S EDUCATION, ARIHANT EDUCATIONAL PARK, HALDUCHAUR, HALDWANI
12.	MARIYAM INSTITUTE OF HIGHER STUDIES AND APPLIED COURSES, BAREILLY ROAD, HALDWANI (Minority Inst.)
13.	PAL COLLEGE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, R. T. O. ROAD, KUSUMKHERA, HALDWANI (NAINITAL)
14.	S. O. S. J. N. KAUL INSTITUTE OF EDUCATION, BHIMTAL (NAINITAL)
15.	SWAMI VIVEKANAND COLLEGE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, HALDWANI

16.	TRINITY COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES, HALDWANI (NAINITAL)
17.	ALCHEMIST SCHOOL OF EDUCATION, KHETAL SANDA KHAM, KHATIMA
18.	BAJAJ COLLEGE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, CHINI MILL ROAD, GADARPUR (UDHAM SINGH NAGAR)
19.	CHANDRAWATI TEWARI GIRLS P. G. COLLEGE, KASHIPUR
20.	D.P.S. COLLEGE OF EDUCATION, BEECHPURI, POST: KELAKHERA, BAJPUR
21.	DEVBHOOMI COLLEGE OF EDUCATION, KACCHI KHAMARIYA, POST LALPUR, RUDRAPUR
22.	DR. SUSHILA TEWARI DEGREE COLLEGE, CHINTI MAJRA, SITARGUNJ
23.	DRON B. ED. COLLEGE FOR WOMEN, DINESHPUR ROAD, KHANPUR EAST, TEHSIL - GADARPUR, RUDRAPUR (UDHAMSINGH NAGAR)
24.	DRON B. ED. COLLEGE, DINESHPUR ROAD, KHANPUR EAST, TEHSIL - GADARPUR, RUDRAPUR (UDHAMSINGH NAGAR)
25.	HARDEV SINGH SMARAK COLLEGE, VILLAGE RAIPUR, MADAIYA, POST RAIPUR, TEHSIL JASPUR (UDHAM SINGH NAGAR)
26.	L. B. S. S. COLLEGE OF EDUCATION, MAHUADABRA, JASPUR (UDHAM SINGH NAGAR)
27.	LAXMI COLLEGE OF EDUCATION, BEECHPURI, POST: KELAKHERA, BAJPUR
28.	MAYANK COLLEGE OF EDUCATION, BEECHPURI, POST: KELAKHERA, BAJPUR
29.	P.D.G. COLLEGE OF EDUCATION, BEECHPURI, POST: KELAKHERA, BAJPUR
30.	POORNAGIRI COLLEGE OF EDUCATION, KHATIMA (UDHAM SINGH NAGAR)
31.	R. L. S. MEMORIAL DEGREE COLLEGE, AFJAL GARH ROAD, KISHANPUR, JASPUR, UDHAMSINGH NAGAR
32.	S.D. COLLEGE OF EDUCATION, BEECHPURI, POST: KELAKHERA, BAJPUR
33.	SARSWATI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, GADARPUR ROAD, RUDRAPUR
34.	SRI GURUNANAK DEGREE COLLEGE PRITI VIHAR COLONY, RUDRAPUR
35.	SRI GURUNANAK DEV PRIVATE P.G. COLLEGE, NANAKMATTA SHAHIB (UDHAMSINGH NAGAR)
36.	SRI KESHAV SURYAMUKHI COLLEGE OF EDUCAITON, SHAKTIFARM, SITARGANJ, RUDRAPUR
37.	SRI SAI SHIKSHAN SANSTHAN, NEELKANTH URJA CENTRE, BHOOTPURI ROAD, NADEHI, JASPUR (UDHAM SINGH NAGAR)
38.	SRIRAM INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, RAMNAGAR ROAD, CORBETT SUN CITY, KASHIPUR
39.	SURAJMAL AGRAWAL PRIVATE DEGREE COLLEGE, KICCHA (UDHAMSINGH NAGAR)
40.	KASHIPUR COLLEGE OF EDUCATION, ALIGANJ ROAD, MAHUAKHERAGANJ, KASHIPUR
41.	SHAHID CAPTAIN D. K. KHOLA COLLEGE OF EDUCATION, DINESHPUR, GADARPUR (UDHAM SINGH NAGAR)

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप बी0एड0 हेतु)

<u>प्रमाण–पत्र I (अनुसूचित जाति/जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0...आत्मज/आत्मजा श्री... निवासी .... तहसील..जनपद.. उत्तराखण्ड राज्य के निवासी हैं तथा संशोधित शासनादेश 1956 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

दिनांक..............................

हस्ताक्षर सील सहित
जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी/तहसीलदार

प्रमाण–पत्र II (उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)–2001 दिनांक 18–7–2001 के अनुसार अन्य पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण–पत्र)

(शासनादेश में उल्लिखित पिछड़ी जातियों को ही लाभ देय होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. पुत्र/पुत्री श्री...निवासी ग्राम...................................तहसील....................................... जिला.......................................उत्तराखण्ड राज्य की (अन्य पिछड़ी जाति का नाम).........................की जाति के व्यक्ति हैं यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची–2 (अधिसूचना संख्या 22/16/92 का0–2/1995 टी0सी0 दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित) से अच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी...तथा इनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम...तहसील......................................जिला.........................में सामान्यतया रहता है। यह प्रमाण–पत्र राजस्व विभाग निरीक्षक श्री..की जांच आख्या................ पर जारी किया गया है।

स्थान..........................	प्रतिहस्ताक्षरित	हस्ताक्षर
दिनांक.......................	उपजिलाधिकारी	तहसीलदार
	सील सहित	सील सहित

नोटः– अन्य पिछड़ी जाति का लाभ केवल उत्तरांचल शासन के **शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)2001 दिनांक 18–7–2001** में उल्लिखित एवं शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को ही अनुमन्य होगा।

तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र उपजिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

प्रमाण–पत्र ।।। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र संख्या .... वर्ष .... हेतु मान्य

दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... पुत्र / पत्नी / पुत्री .... ग्राम / मुहल्ला .... पोस्ट आफिस .... जिला .... पिन कोड .... उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी / स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष .... की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है –

(I) कृषि भूमि 05 एकड़ या उससे अधिक, या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी .... जो कि .... जाति से हैं और भारत सरकार / उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं हैं।

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साईज का प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम ....

पदनाम ....

<u>प्रमाण–पत्र IV (दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0...आत्मज / आत्मजा श्री.. निवासी .... तहसील..जनपद.. उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांग की श्रेणी में आते हुए चर्मरोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी स्थिति में व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं जिससे बच्चों में फैलने या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हो। अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम है।

दिनांक.............................. **हस्ताक्षर सील सहित**

जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी

नोटः– न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग होने का CMO द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र आवश्यक है। अधिकतम 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग अभ्यर्थी आवेदन न करें।

प्रमाण–पत्र V (प्रतिरक्षा कर्मचारी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि ....श्री/श्रीमती/कु0.. आत्मज/आत्मजा श्री.. प्रतिरक्षा कर्मचारी (पद) .... पर कार्य कर रहे हैं/कार्य किया/ससम्मान सेवानिवृत्त हुये/उनकी सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी थी/वह अपंग सेवा निवृत्त हो गये थे तथा श्री/श्रीमती/कु0 ....इनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी हैं।

दिनांक............................... **हस्ताक्षर सील सहित**

ऑफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

प्रमाण–पत्र VI (अभ्यर्थी स्वयं भूतपूर्व सैनिक होने पर)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0...आत्मज/आत्मजा श्री...भूतपूर्व सैनिक ने..के पद पर कार्य किया/ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक...............................

हस्ताक्षर सील सहित

ऑफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

<u>प्रमाण–पत्र VII (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती..आत्मज / आत्मजा श्री...शासन के आलेखानुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं / थे तथा श्री / श्रीमती / कु0..इनके पुत्र / पुत्री / पुत्र के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री हैं।

दिनांक....................................

हस्ताक्षर सील सहित

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी

उपजिलाधिकारी

नोटः– प्रमाण–पत्र वर्तमान समय का होना आवश्यक है।

प्रमाण–पत्र VIII (विधवा या तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती..आत्मज / आत्मजा श्री... एक विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला हैं, इनके पति श्री ....की मृत्यु हो गयी / तलाक / परित्यक्ता दिनांक .... को कर दिया गया है।

दिनांक.....................................

हस्ताक्षर सील सहित

उपजिलाधिकारी

नोटः– कानूनी प्रमाण–पत्र की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक है।

प्रमाण–पत्र IX (पुलिस/पी0ए0सी0/होमगार्ड/बी0एस0एफ0/एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0/सी0आर0पी0एफ0 के स्वयं अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..आत्मज/आत्मजा श्री...विभाग......................................पद...पर सक्रिय पूर्णकालिक स्थाई रूप से सेवारत हैं/ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक...............................

हस्ताक्षर सील सहित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रीजनल कमाण्डर

पी0ए0सी0/होमगार्ड/बी0एस0एफ0/एस0एस0बी0/आई0टी0बी0पी0/सी0आर0पी0एफ0

नोटः– होमगार्ड के लिए प्रमाण–पत्र केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होंगे।

****